हमार पूर्वांचल

संपादक- हरीश सिंह

DIGITAL

भदोही। गुरूवार, 11 फरवरी 2021

HAMAR PURVANCHAL

जन्मभूमि से कर्मभूमि तक

www.hamarapurvanchal.com निदेशक-विवेक सिंह, प्र.संपादक-प्रविण मिश्रा 7860754250 hamarapurvanchal hamarapurvanchal

यूपी: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नियमावली जारी

हमार पूर्वांचल टीम

लखनऊ। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायतों में वार्डों के आरक्षण लिए गुरुवार को नियमावली जारी कर दी है। इसके बाद अब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नियमावली के अनुसार, पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा लेकिन जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष १९९५, २०००, २०१० और वर्ष २०१५ में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी।

बता दें कि इस नियमावली के आधार पर ही अगले एक माह में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के वार्डों का आरक्षण निर्धारण होगा। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को १७ मार्च तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करके ३० अप्रैल तक पंचायतों के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में अप्रैल माह में ५८१९४ ग्राम पंचायतों, ७३१८१३ ग्राम पंचायत सदस्यों, ७५८५५ क्षेत्र पंचायत सदस्यों, ३०५१ जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव कराया जाएगा। इसके बाद ८२६ ब्लाक प्रमुखों व ७५ जिला पंचायत अध्यक्षों का निर्वाचन होगा।

इसके तहत अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून (इससे कम न हो) जिला पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जाएंगी। स्त्रियों के लिए आवंटित जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून जिला पंचायत के अध्यक्षों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जाएगा।

जिन जिला पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है) वे स्त्रियों को आवंटित की जाएंगी लेकिन इस प्रकार की जहां तक हो सके, पूर्ववर्ती निर्वाचनों अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष १९९५, २०००, २०१० और वर्ष २०१५ में स्त्रियों को आवंटित जिला पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जाएंगी।

नियमावली के तहत, पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष २०२१ के आरक्षण में चक्रानुक्रम लागू किया जाएगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचनों (वर्ष १९९५, २०००, २०१० और वर्ष २०१५) में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिए जो जिला पंचायतें आरक्षित की गई थीं, उन्हें आगामी निर्वाचन में संबंधित आरक्षित वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया जाएगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाली जिला पंचायत से आरक्षण शुरू किया जाएगा।

चक्रानुक्रम आरक्षण वाली नियमावली में ११वें संशोधन की अधिसूचना जारी

बता दें कि ग्राम पंचायतों के चक्रानुक्रम आरक्षण का रास्ता साफ करने के लिए पंचायत राज नियमावली में ११वें संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी गई। कैबिनेट ने मंगलवार को ही नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी थी।

वर्ष २०१५ के पंचायत चुनाव में यूपी पंचायतराज (स्थानों व पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली में १०वां संशोधन किया गया था। अब ११वां संशोधन किया गया है। इसके बाद प्रदेश के उन चार जिले गोंडा, शामली, मुरादाबाद व गौतमबुद्धनगर में ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र का आरक्षण नए सिरे से नहीं होगा, जिनमें ग्राम पंचायतों का पूर्म परिसीमन (पुनर्गठन) किया गया है। इनमें आरक्षण की कार्यवाही शेष ७१ जिलों की तरह चक्रानुक्रम में ही होगी।

बता दें कि प्रदेश सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कैबिनेट बाइ सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी देकर त्रिस्तरीय ग्रामीण पंचायतों की नियामावली में संशोधन कर आरक्षण व्यवस्था संबंधी आदेश जारी करने की अड़चन दूर कर दी थी। इससे से ग्राम पंचायतों व ग्राम पंचायत सदस्यों के चक्रानुक्रम आरक्षण की कार्यवाही का रास्ता साफ हो गया है।

२०१५ में किया गया था १०वां संशोधन

प्रदेश में वर्ष २०१५ के पंचायत चुनाव में यूपी पंचायतराज (स्थानों व पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली १९९४ में १०वां संशोधन किया गया था। नियमावली का नियम-४ ग्राम प्रधानों व नियम-५ ग्राम पंचायत सदस्यों से संबंधित है। इसमें एक नया प्रावधान जोड़ा गया था- अगर सामान्य निर्वाचन के पूर्व परीसीमन (सामान्य पुनर्गठन) की कार्यवाही जनसंख्या वृद्धि अथवा अन्य कारणों से की जाती है तो उस चुनाव में पिछले आरक्षणों को शून्य मानते हुए आरक्षण नए सिरे से किया जाएगा।

२०११ की जनगणना का हवाला देते हुए इस नियम के आधार पर २०१५ के चुनाव में ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान के पदों के लिए नए सिरे से आरक्षण की व्यवस्था की गई। मगर, चार जिलों गोंडा, शामली, मुरादाबाद व गौतमबुद्धनगर में सामान्य पुनर्गठन २०१५ में पूरा नहीं हो सका।

इसके बावजूद नए सिरे से आरक्षण की कार्यवाही की गई थी। इन चार जिलों में सामान्य पुनर्गठन की कार्यवाही नवंबर-दिसंबर, २०२० में हुई। ऐसे में २०१५ में नियमावली में जोड़े गए प्रावधान को यदि समाप्त नहीं किया जाता तो इन चार जिलों में नए सिरे से पंचायतों के आरक्षण की कार्यवाही करनी पड़ती, जो बाकी ७१ जिलों की व्यवस्था से भिन्न होगी। एक तरह से सभी जिलों में चक्रानुक्रम आरक्षण समान रूप से आगे नहीं बढ़ पाता।

इस विसंगति को दूर करने के लिए सरकार ने यूपी पंचायतराज (स्थानों व पदों का आरक्षण व आवंटन) नियमावली १९९४ में ११वां संशोधन कर पुनर्गठन के बाद नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान समाप्त कर दिया है।

प्रदेश सचिव के पहल को मिली मंजिल

हमार पूर्वांचल टीम

भदोही। जिले के दर्जनों गांवों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की पहल शुरू हो गयी है। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग, सूक्ष्म , लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी उक्त आशय का पत्र जारी किया है। इससे लोगों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी।

अपना दल के प्रदेश सचिव नंद जायसवाल ने बताया कि पार्टी प्रमुख व मीरजापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल से उक्त सड़क बनाने की माग की गयी थी। उनके पत्र पर केन्द्रीय मंत्री ने उक्त निर्णय लिया गया है। बताया कि चकपड़ौना व आसपास के दर्जनों गांवों का जीटी रोड से सीधा जुड़ाव नहीं था। ऐसे में बरसात के

दिनों में आवागमन की बहुत दिक्कत होती थी। इस समस्या से पार्टी प्रमुख को अवगत कराया गया था। जिस पर यह पहल शुरू हुई है।

शिवसेना के राष्ट्रीय संगठक बने डॉ. दृगेश यादव

विनय शर्मा 'दीप'/हमार पूर्वांचल

मुंबई। शिक्षाविद, साहित्यकार एवं श्रीपति इंटरनेशनल स्कूल एंड कह्लेज के चेयरमैन डा दृगेश यादव को शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव साहेब ठाकरे ने शिवसेना का राष्ट्रीय संगठक नियुक्त किया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे, आदित्य ठाकरे के हिंदी शिक्षक एवं राष्ट्रीय संगठक विनय शुक्ल , उत्तर प्रदेश शिवसेना के अध्यक्ष अनिल सिंह उपस्थित थे । डा यादव पूर्वांचल वासियों के हित के लिए चर्चित संस्था पूर्वांचल विकास

परिवार के संस्थापक एवं अध्यक्ष भी हैं ।

बता दें कि एक समय यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी रह चुके हैं । प्रख्यात साहित्यकार डा हरिवंशराय बच्चन पर पीएचडी की है तथा उनके ऊपर दो पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं । सच के अनछुये संदर्भ : बच्चन तथा गद्य का नया वसंत : बच्चन । डा. यादव के चर्चित काव्य संग्रह मैं सोचता हूँ २. का लोकार्पण २००८ में अंतरराष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन अमेरिका , यूएनओ के प्रांगण में हुआ । डा. यादव को मुम्बई विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठित कृष्णलाल प्रभात काव्य गौरव पुरस्कार भी प्राप्त है ।

हिंदुओं का दमन करने पर तुली है उद्धव सरकार : संजय पांडे

विनय शर्मा 'दीप'/हमार पूर्वांचल

मुंबई। भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाआघाडी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि शिशुपाल के सौ अपराध पूरे हो चुके हैं। शीघ्र ही सुदर्शन चक्र चलेगा, जिसमें हिंदुओं का दमन करने वाली यह सरकार नेस्तनाबूद हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र की महाआघाडी सरकार हिंदुओं का दमन करने के लिए एकदम से निचले स्तर पर जा पहुंची है।

गौरतलब हो कि पिछले दिनों एल्गार परिषद में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शर्जिल उस्मानी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के प्रेरणा स्थल पर नमन कर शांति मार्च करते हुए मातोश्री तक जाकर वहां पर एक दिन का सत्याग्रह आंदोलन रखा गया था, लेकिन शिवाजी पार्क पहुंचने से पहले ही संजय पांडे समेत तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। संजय पांडे ने कहा कि हिंदू विरोधी महा विकास आघाडी सरकार किस हद तक जा कर हिंदुओं के खिलाफ बोलने वाले देश विरोधी शर्जिल उस्मानी को बचाने के लिए उसकी गिरफ्तारी की मांग

करने वालों को ही गिरफ्तार कर रही है, उससे इनकी मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे अगर देख रहे होंगे, तो उन्हें भी उनके पुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के इस कृत्य से दुख हुआ होगा, कि जिन हिंदुओं के लिए उन्होंने पूरे जीवन भर संघर्ष किया, उन हिंदुओं को उनके ही बेटे की सरकार में इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है, क्योंकि एक देशद्रोही हिंदुओं के खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर आकर आपत्तिजनक शब्द बोलता है, और जब उसकी गिरफ्तारी के लिए सैकड़ों हिंदू भाई-बहन शांतिपूर्वक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।

क्या महा विकास आघाडी सरकार शर्जिल उस्मानी को बचाने के लिए हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है ? पांडे ने कहा कि जितनी तीव्र गति से हिंदू भाई-बहनों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने एक्शन दिखाया, उसी तरीके से अगर पुलिस ने एक्शन दिखाया होता, तो शर्जिल उस्मानी महाराष्ट्र की सीमा से तो क्या पुणे की सीमा से भी बाहर नहीं जा पाता। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अब अपने हिंदुत्व को नासिक की पवित्र गोदावरी में बहा चुके हैं, लेकिन बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा शर्जिल उस्मानी की गिरफ्तारी तक अपना विरोध जारी रखेगी और शांत नहीं बैठेगा। संजय पांडे ने कहा कि महज एक जयचंद ने शिवसेना को शवसेना बना दिया है। हिंदुओं के वोटों पर चुनाव जीतने वाली शिवसेना सत्ता लोलुपता में टुकड़े-टुकडे गैंग के समर्थकों के चंगुल में फंस चुकी है। जनता सब समझती है, और आने वाले चुनाव में इन टुकड़े-टुकड़े गैंग के समर्थकों के साथ शिवसेना को भी सत्ता से उखाड़ फेंकेगी।

भदोही: खड़ी कार में अज्ञात ने लगाई आग

ए.के. फारूकी/हमार पूर्वांचल

भदोही। ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घराव नामक गांव में अशोक सम्राट दरवारी के सामने आज बीती रात गुरुवार को गली में खड़ी यार्टिका कार में किसी अज्ञात ने आग लगा दी। कार में लगी आग की लपटों को देखकर अपनी मां की सूचना पर कार मालिक के बड़ भाई उठे, और आग बुझाने का प्रयास करते,तब तक शोर-शराबे के बीच मौके पर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा आग पर काबू पाया गया। कार मालिक विजय कुमार मौर्या के बड़े भाई बृजलाल मौर्या ने बताया कि उनके छोटे भाई रात में घर के बगल में कार खड़ी कर किसी काम पर बाहर थे, कि अचानक कार का एलार्म बजने लगा।बाहर निकल कर मेरी माता जी ने देखा कि रात करीब ११रू३० बजे कार में किसी ने पुआल जलाकर आग लगा दी। वे तुरंत उठे और आग बुझाने में लग गए। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक आग कार के काफी हिस्से को अपनी लपेट में ले चुकी थी। इस दौरान जांच में पता चला कि किसी ने कार के तेल के टंकी में पुआल जलाकर आग लगाई है क्योंकि पास से कुछ अधजला पुआल मिला है। उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं है। न ही उन्हें किसी पर शक है।

ज्योतिष अनुसंधान केन्द्र

कार्यालय: रिंग मार्केट, रजपुरा, भदोही।

तंत्र, ज्योतिष, ग्रहरत्न, वास्तु, हस्तरेखा, अंकशास्त्र, योग, जमीन व मकान फंसा पैसा, बाधा, व्यापार, राजनीति, रोग, ऋण शत्रु आकर्षण, विवाह, शिक्षा आदि समस्याओं का समाधान

डा. कुन्दन ज्योतिषी

इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी- कोलकाता

अध्यक्ष - ज्योतिष अनुसंधान केन्द्र, लखनउ उ.प्र.

सलाहकार - फिल्मसिटी, गोरेगांव, मुम्बई

Mob: 9956304384